आप0प्र0क0 2864/2022 **शासन विरूद्व भरत सोनी**

Witness No.....**02.**...for.............**अभियोजन साक्ष्य**...........Deposition taken on

the........**07-07-2026**...........day of ..**मंगलवार**.......Witness's apparaent age ..**44 वर्ष**

States of affirmation.........**शपथपूर्वक**.........my name ....**सुमार साय**.

son of ...**श्री घुरसाय**.... occupation ....**प्रधान आरक्षक**

address...**साकिन– पुलिस चौकी होलीकास अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ0ग0**..............
(समय 12:30 बजे से)

//शपथपूर्वक मुख्य परीक्षण द्वारा राज्य की ओर से

सुश्री अश्वनी ठाकुर ए0डी0पी0ओ0//

01– मैं थाना अम्बिकापुर में मार्च वर्ष 2022 से 2024 तक प्रधान आरक्षक के पर पदस्थ था।

02– पदस्थापना के दौरान दिनांक 29.05.2022 को हमराह स्टाफ उपनिरीक्षक रामनरेश गुप्ता आरक्षक 575, 858 महिला आरक्षक 324, के साथ टाउन भम्रण आबकारी जुआं एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था कि मुखबीर से सूचना मिला कि कंपनी बाजार का भरत सोनी अपने घर से अवैध रूप से हाथ–भट्ठी से बना हुआ शराब बिक्री हेतु लेकर जा रहा है कि सूचना तश्दीक हेतु हमराह स्टाफ राह चलते गवाह अशोक कुमार व अक्षय सोनी को सूचना से अवगत कराते हुये कार्यवाही में साथ रहने का आग्रह कर मौके पर रवाना हुआ। जो मुखबीर द्वारा हुलिया का व्यक्ति हाथ में झोला लेकर आता दिखाई दिया जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम भरत सोनी होना बताया तथा शराब बिक्री हेतु परिवहन करने के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने अपने पास रखे एक लीटर वाले प्लास्टिक के पानी बोटल 2 नग में भरा हाथ भट्ठी से बना हुआ शराब कुल 2 लीटर किमती 200/– रूपये की गवाह के समक्ष पेश किया। उक्त शराब रखने बिक्री हेतु परिवहन करने के संबंध में धारा 91 दं0प्र0सं0 का नोटिस देकर पास परमिट चाहा गया, जो कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, नोटिस प्र0पी0 04 के अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर आरोपी भरत सोनी के हस्ताक्षर है। उक्त हाथ–भट्ठी से बना हुआ शराब 2 लीटर कीमती 200/– रूपये को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक के मुताबिक दिनांक 29.05.2022 को जप्त किया गया। जप्ती पत्रक प्र0पी0 01 के अ से अ भाग पर मेरे तथा स से स भाग पर आरोपी भरत सोनी के हस्ताक्षर है। आरोपी का कृत्य धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी भरत सोनी विधिवत गिरफतार किया गया तथा मामला जमानतीय होने से आरोपी के द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। गिरफतारी पत्रक प्र0पी0 02 के ब से ब भाग पर मेरे तथा स से स भाग पर आरोपी भरत सोनी के हसताक्षर है।

03— विवेचना के दौरान गवाह अशोक कुमार, अक्षय सोनी का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया हूँ। दिनांक 03.06.2022 को आबकारी निरीक्षक वृत्त अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर के अपराध क0 442/2022 धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट में जप्त महुआ शराब का मुलाहिजा कर नतिजा से तहरीर प्रेषित किया था, तहरीर प्र0पी0 05 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में मदिरा जांच प्रतिवेदन संलग्न कर जप्त माल रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति प्र0पी0 06 जो क्रमशः 2 प्रति में है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग मेरे हस्ताक्षर है। रवानगी एवं वापसी सान्हा प्र0पी0 07 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। संपूर्ण कार्यवाही उपरांत थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध थाना अम्बिकापुर के अपराध क0 442/2022 धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया हूँ जो प्र0पी0 08 है जिसके अ से अ भाग तथा ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ।

<u>//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री साकिर अंसारी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त//</u>

04— यह कहना सही है कि मुझे कोई लिखित शिकायत नहीं मिला था। साक्षी स्वतः कहा कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबीर सूचना मुझे 29 तारीख को मिला था। यह कहना सही है कि मुखबीर सूचना मुझे कितना समय मिला था, मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मुखबीर सूचना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दिया था। यह कहना सही है कि आबकारी वृत्त जिला अम्बिकापुर में स्थित है।

05— यह कहना सही है कि मुखबीर सूचना की जानकारी आबकारी वृत्त अम्बिकापुर को नहीं दिया हूँ। यह कहना गलत है कि जप्ती की कार्यवाही मेरे द्वारा नहीं की गयी है। यह कहना सही है कि जप्त माल रजिस्टर की छायाप्रति प्र0पी0 06 में सूरज कुमार चेरवा से एक नग वीवो कंपनी का एन्ड्राइड मोबाईल जप्त होना लेख है। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी की गिरफतारी का नोटिस नहीं दिया था।

06— यह कहना सही है कि प्रकरण में नजरी नक्शा तैयार नहीं किया हूँ। यह कहना गलत है कि जप्ती की कार्यवाही थाने में बैठकर किया हूँ। यह कहना सही है कि आरोपी के खिलाफ थाना अम्बिकापुर में इस प्रकरण के पूर्व कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। यह कहना गलत है कि रवानगी एवं वापसी सान्हा में जाने एवं आने के समय का उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है कि रवानगी एवं वापसी सान्हा में क्रमांक का उल्लेख नहीं है।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

<u>बयानकर्ता के हस्ताक्षर</u>

सही/—
(अरिन्दम नेरल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अम्बिकापुर (छ.ग.)
(समय 01:05 बजे तक)

सही/—
(अरिन्दम नेरल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अम्बिकापुर (छ.ग.)